

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :- 76/2012

1. बुद्धराम पुत्र लिखमा उम्र 85 वर्ष (मृतक)
1/1 लालसिंह पुत्र स्व. बुद्धराम
1/2 जगमाल सिंह पुत्र स्व. बुद्धराम
1/3 सुमन पुत्र स्व. बुद्धराम
1/4 रामोतार पुत्र स्व. बुद्धराम
1/5 कौशल्या पत्नी स्व. अशोक पुत्र स्व. बुद्धराम
1/6 रामकिशन पुत्र स्व. अशोक
1/7 अंकित पुत्र स्व. अशोक
1/8 संजू पुत्री स्व. अशोक आयु 17 वर्ष नाबालिग जरिये माता कौशल्या की सरंक्षता में जाति अहीर नि० अजीतपुरा तह० खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज०
2. बाबुलाल पुत्र लिखमा आयु 50 वर्ष नवीरा लिखमा
3. नत्थूराम पुत्र मातादीन उम्र 45 वर्ष नवीरा लिखमा
4. गिन्दोड़ी बेवाह मातादीन उम्र 75 वर्ष
5. जयदयाल पुत्र लिखमा उम्र 66 वर्ष जाति अहीरान निवासी अजीतपुरा तह० खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज० हाल आबाद मुकन्दपुरा तन् ठाठवाड़ी जिला झुंझुनूं राज०
6. श्योराम पुत्र उमराव पौत्र औंकार आयु 53 वर्ष
7. शिवकरण उर्फ श्योकरण पुत्र मुरलीधर उर्फ मुरला उर्फ मुखा उम्र 62 वर्ष पौत्र औंकार
8. हरलाल पुत्र मुरलीधर उर्फ मुरला उर्फ मुखा उम्र 50 वर्ष पौत्र औंकार जाति अहीरान निवासी अजीतपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज० हाल आबाद मुकन्दपुरा तन् ठाठवाड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज०

.....वादीगण

बनाम

1. रणजीत पुत्र रामकरण उम्र 66 वर्ष पौत्र औंकार
2. मोहरसिंह पुत्र रामकरण पौत्र औंकार उम्र 61 वर्ष जाति अहीरान निवासी अजीतपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज० हाल आबाद मुकन्दपुरा तन् ठाठवाड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज०
3. शांति देवी पत्नी स्व. नंदलाल उम्र 75 वर्ष
4. सुमेर पुत्र नंदलाल उम्र 40 वर्ष
5. राजेश पुत्र नंदलाल उम्र 25 वर्ष
6. मुकेश पुत्री नंदलाल उम्र 45 वर्ष
7. विमला पुत्री नंदलाल उम्र 35 वर्ष
8. सुमित्रा पुत्री नंदलाल उम्र 30 वर्ष
9. कौशल्या देवी पत्नी स्व. सुरेन्द्र कुमार ससुर नंदलाल उम्र 45 वर्ष
10. कालुराम पुत्र सुरेन्द्र पौत्र नंदलाल उम्र 19 वर्ष
11. सुनीता पुत्री सुरेन्द्र उम्र 20 वर्ष पौत्री नंदलाल
12. कमलेश पुत्री सुरेन्द्र पौत्री नंदलाल उम्र 14 वर्ष नाबालिग जरिये



माता कौशल्या देवी पत्नी सुरेन्द्र

13. सन्तोष पत्नी रतिराम ससुर सुलतान उम्र 45 वर्ष
14. शीशाराम पुत्र रतिराम पौत्र सुलतान उम्र 25 वर्ष
15. संदीप उर्फ कालुराम पुत्र रतिराम पौत्र सुलतान उम्र 13 वर्ष नाबालिग
जरिये संरक्षक माता संतोष पत्नी रतिराम
16. फूलचंद उम्र 68 वर्ष
17. सुरजभान उम्र 64 वर्ष
18. हनुमान उम्र 50 वर्ष
पुत्रान मन्साराम
19. सरजीत पुत्र गणपत उम्र 70 वर्ष
20. सियाराम उम्र 37 वर्ष
21. अशोक उम्र 27 वर्ष
22. अनुप उम्र 25 वर्ष
पुत्रान रोशनलाल पौत्र गणपत
23. राजकुमार पुत्र गोरू पौत्र इसर आयु 65 वर्ष
24. भगवती पत्नी सरदारा उम्र 75 वर्ष
25. पितराम उम्र 46 वर्ष
26. कंवरसिंह उम्र 42 वर्ष
27. रामकुमार उम्र 40 वर्ष
28. महेन्द्र उम्र 38 वर्ष
पुत्रान सरदारा जाति अहीर निवासी अजीतपुरा
29. कमलेश पुत्री सरदारा उम्र 33 वर्ष
30. मुकेश पुत्री सरदारा आयु 30 वर्ष
31. रामनिवास पुत्र अमीलाल आयु 43 वर्ष
32. विरेन्द्र उर्फ विलेन्द्र पुत्र अमीलाल आयु 40 वर्ष
33. चावली पत्नी अमीलाल उम्र 70 वर्ष
34. प्रेम पुत्री अमीलाल उम्र 35 वर्ष जाति अहीर नि० अजीतपुरा तह०
खेतड़ी
35. सन्तरा पुत्री मुखराम पत्नी जगराम जाति अहीर नि० अजीतपुरा हाल
आबाद मुगारका तह० नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरि०
36. चंपा देवी पुत्री मुखराम जाति अहीर नि० अजीतपुरा हाल मुकन्दपुरा
37. यादराम पुत्र रेवता उर्फ खेता उम्र 65 वर्ष
38. बनवारी पुत्र रेवता उर्फ खेता उम्र 57 वर्ष जाति अहीर नि०
अजीतपुरा तह० खेतड़ी जिला झुन्डुनूं राज०
39. मूली देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट नि० ढाणी लिनकी तनद
यालका नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज०
40. कासु उर्फ कालूराम पुत्र गंगू उम्र 90 वर्ष जाति अहीर निवासी
अजीतपुरा हाल आबाद मुकन्दपुरा तन् ठाठवाड़ी तह० खेतड़ी
41. सुमेर सिंह उम्र 43 वर्ष
42. राजेन्द्र सिंह उम्र 40 वर्ष
43. कृष्ण कुमार उम्र 37 वर्ष
पुत्रान मोहर सिंह जाति अहीर निवासी मुकुन्दपुरा तन् ठाठवाड़ी
44. भानी देवी पत्नी गोरीसहाय उम्र 65 वर्ष
45. सुरेन्द्र कुमार पुत्र गोरीसहाय उम्र 40 वर्ष
46. सहीराम पुत्र गोरीसहाय उम्र 35 वर्ष
47. सन्तरा पुत्री गोरीसहाय
48. रामरती पुत्री गोरीसहाय जाति अहीर नि० मुकन्दपुरा तन् ठाठवाड़ी

- तह0 खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
49. चंपा देवी पुत्री मुखराम जाति अहीर नि0 अजीतपुरा तह0 खेतड़ी
50. राज0 सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार, खेतड़ी
51 उप पंजीयक, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
52. राज0 ग्रामीण बैंक शाखा पपुरना जरिये शाखा प्रबंधक

.....प्रतिवादीगण

दावा – घोषणात्मक, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

दिनांक :-01-04-2022

:- निर्णय :-

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 24.01.2017 को पारित कर तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी की गई कि वाके राजस्व ग्राम अजीतपुरा स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 138 रकबा 0.44 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.84 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.26 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 160 रकबा 0.23 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.65 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.70 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.56 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.68 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 152 रकबा 0.68 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.71 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.48 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.21 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.63 हेक्टेयर तथा वाके राजस्व ग्राम रामकुमारपुरा स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 2289 रकबा 0.91 हेक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 7.98 हेक्टेयर भूमि में से 4.70 हेक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1/1 लगायत 1/8 बुद्धराम के वारिसान व वादी संख्या 5 जयदयाल 1/3 हिस्से के, वादी संख्या 2, 3, 4 बाबुलाल, नत्थुराम, गिन्दोड़ी 1/6 हिस्से के, वादी संख्या 6 स्योराम 1/6 हिस्से का एवं वादी संख्या 7, 8 शिवकरण उर्फ श्योकरण, हरलाल को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 रणजीत, मोहरसिंह 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार पक्षकारान का मौका कब्जा काश्त के अनुसार खाता अलग से कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार खेतड़ी को 500 रुपये के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पक्षकारान को सूचित कर यथाशीघ्र भिजवायें।

तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./2022/272 दिनांक 11-02-2022 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11-02-2022 का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11-02-2022 के मुताबिक वाद वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11-02-2022 (प्रदर्श-‘अ-1 से 22’ व ‘ब’ राजस्व ग्राम अजीतपुरा) व (प्रदर्श-‘अ-1 से 8’ व ‘ब’ राजस्व ग्राम रामकुमारपुरा) के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11-02-2022 (प्रदर्श-‘अ-1 से 22’ व ‘ब’ राजस्व ग्राम अजीतपुरा) व (प्रदर्श-‘अ-1 से 8’ व ‘ब’ राजस्व ग्राम रामकुमारपुरा) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श-‘ब’ के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला जुन्डुनू (राज०)